# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

## पीठासीन अधिकारी डॉ0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 16/2019 | तारीख दायरा 17-11-2019 | तारीख फैसला 25.11.20

उनवान

सुनिल पुत्र स्व. श्री रामकुमार पुत्र स्व. श्री खुशी जाति खाती निवासी ग्राम गोठड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज.)

—— वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी तहसीलदार तहसील तिजारा जिला अलवर

—— असल प्रतिवादीगण

2. संतोष पुत्री स्व. श्री रामकुमार पत्नी श्री कुलदीपलाल जाति खाती निवासी ग्राम गोठड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर हाल आबाद मुन्डावर तहसील रामगढ़ जिला अलवर (राज0)
3. कमलेश पुत्री स्व. श्री रामकुमार पत्नी श्री महेन्द्र प्रसाद जाति खाती निवासी ग्राम गोठड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर हाल आबाद इस्माइल माजरा तहसील बानसूर जिला अलवर (राज0)

—— तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारुल हक मय दुरुस्ती इन्द्राज मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-: निर्णय :-

प्रकरण के संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने दावा इस्तकरारुल हक मय दुरुस्ती इन्द्राज मय हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि शामिल आराजी खसरा नम्बर 331 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 342 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा (0.4856 है0) नियुक्त किये गये है। जो वाके ग्राम गोठड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। हाल की खसरा नम्बर 342 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा में से 1/2 भाग इस दावे में विवादित आराजी कहलायेगी। उक्त आराजी जो कि मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के दादा खुशी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जिस पर वह अपने जीवनकाल में काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करता रहा है। जिसके नाम का इन्द्राज शामिल जमाबन्दी संवत 2000 में हो रहा है। जिसके मरने के बाद शामिल आराजी जो कि खुशी के दो पुत्रों मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता रामकुमार व प्रभाती को विरासत में प्राप्त हुई है। मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के दादा खुशी के मरने के उपरान्त विरासत इन्तकाल संख्या 18 मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता रामकुमार व उसके चाचा प्रभाती के नाम ग्राम पंचायत गोठड़ा में दर्ज व स्वीकार हो गया। मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता रामकुमार के नाम का सही अंकन किया लेकिन राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने शामिल जमाबन्दी बनाते समय विरासत इन्तकाल नंबर 18 में मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता रामकुमार के अंकन के स्थान पर शंकर का अंकन कर दिया तथा रामकुमार के भाई प्रभाती का नाम का सही अंकन कर दिया। इसके बाद सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने जमाबन्दी संवत 2023 नियुक्त करते समय उक्त शामिल आराजी के हाल आराजी नियुक्त किये और शामिल रिकार्ड की पुर्नरावृत्ति करते हुए मिन वादी व

तिवादीगण के पिता रामकुंवार के सही नाम स्थान पर शंकर के नाम का ही अंकन बदस्तूर रखा तथा बन्दी में भी मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता रामकुंवार के स्थान पर गलत नाम शंकर का रहा है। जबकि मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता का सही नाम रामकुंवार है तथा पारिवारिक ड व अन्य समस्त दस्तावेजात तथा इंतकाल संख्या 181 में भी सही नाम रामकुंवार का अंकन दर्ज है। तकाल संख्या 181 के अनुसार साबिक रिकार्ड जमाबन्दी बनाई गई व उसके बाद सैटलमेन्ट विभाग के ाबन्दी संवत् 2029 पैमुद की गई तथा हाल जमाबन्दी में मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता का । रामकुंवार के स्थान पर गलत नाम शंकर का अंकन हो रहा है। जो गलत अंकन मिन वादी व तरतीबी गण के हकूकों के खिलाफ बातिल वो बेअसर है, नाकाबिले पाबन्दी है। जिसे इसी कदर दुरूस्त कराकर आराजी में अपने पिता के गलत नाम शंकर के अंकन को हजफ कराकर मिन वादी अपने पिता का सही कुंवार दर्ज कराकर इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 330 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 842 रकबा 1 बीघा 18 0.4800 है0) का 1/2 भाग पैमुद किये गये है। जो वाके ग्राम गोठडा तहसील तिजारा जिला अलवर स्थित है। राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने विरासत इंतकाल संख्या 181 के विपरित जाकर मिन वादी बी प्रतिवादीगण के पिता के सही नाम रामकुंवार के स्थान पर गलत नाम शंकर का अंकन दर्ज किया है। त नाम का अंकन बदस्तूर हाल जमाबन्दी में चला आ रहा है। जबकि मिन वादी के पिता का सही नाम र है तथा राशन कार्ड व अन्य दस्तावेज में मिन वादी के पिता का सही नाम रामकुंवार है। वादी के पिता त नाम के अंकन होने से वादी के हकूकों पर कुठाराघात है। जो मिन वादी के हकूकों के खिलाफ बातिल सर है। नाकाबिले पाबन्दी है। जिसे इसी कदर दुरूस्त कराकर विवादित आराजी में अपने पिता के गलत कर के अंकन को हजफ कराकर वादी अपने पिता का सही नाम रामकुंवार दर्ज कराकर इश्तकरारहक मय इन्द्राज की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी ने वाद के साथ सूचि अनुसार दस्तावेज पेश किये।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत का अवसर प्रदान किया। लेकिन प्रतिवादी बावजूद तामील के अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरूद्व एकतरफा ही अमल में लाई गई। बहस वकील वादी एकतरफा सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस वकील वादी पर मनन किया। नामान्तकरण संख्या 181 दिनांक 1949 विरासत से खुबी वल्द बाला खाती बहक प्रभाती रामकुंवार पि. खुबी जाति खाती वाके ग्राम गोठडा दर्ज कार किया गया है। जमाबन्दी रोटेशन संवत् 2005-12 में लिपिकिये त्रृटि से प्रभाती शंकर पि. खुबी सा. देह हो गया। जिसे शंकर के स्थान रामकुंवार दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 842 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम ा तहसील तिजारा पर दर्ज शंकर पुत्र खुबी के स्थान पर रामकुंवार पुत्र खुबी दर्ज किये जाने के आदेश दिये है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

K 05/11/2020

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
## पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर
09 / 2019

तारीख दायर
07–01–2019

तारीख फैसला
05/11/20

**उनवान**

सुरेश पुत्र स्व. श्री रामकुंवार पुत्र स्व. श्री खूबी जाति खाती निवासी ग्राम गोठडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज.)

———:: वादी

**बनाम**

राज्य सरकार जरिये पैरोकार, भूमिधारी तहसीलदार, तहसील तिजारा जिला अलवर

————:: असल प्रतिवादीगण

सरोज पुत्री स्व0 श्री रामकुंवार पत्नी श्री छुटटनलाल जाति खाती निवासी ग्राम गोठडा तहसील तिजारा जिला अलवर हाल आबाद गुन्दापुर तहसील रामगढ जिला अलवर (राज0)

कमलेश पुत्री स्व. श्री रामकुंवार पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद जाति खाती निवासी ग्राम गोठडा तहसील तिजारा जिला अलवर हाल आबाद हरसोरा माजरा तहसील बानसूर जिला अलवर (राज0)

————:: तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

**–:: पर्चा डिक्री ::–**

हाल आराजी खसरा नम्बर 842 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम गोठडा तहसील तिजारा पर दर्ज शंकर के स्थान पर रामकुंवार पुत्र खुबी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

05/11/2020

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)